न्यायालयः- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	हरीश कुमार, आर.जे.एस.
नम्बरी फौजदारी संख्या	537/2017
CIS NO.	537/2017
CNR NO.	RJCH020014252017
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं०	239/2016
अंतर्गत धारा	323, 325 भारतीय दण्ड संहिता
पुलिसथाना	कोतवाली, चूरू

सरकार

बनाम

1. सांवरमल पुत्र शुभकरण उम्र 38 साल, निवासी बुटिया थाना सदर चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.) ।
2. सुरेश कुमार पुत्र श्री धूपसिंह उम्र 32 साल, निवासी डोकवा थाना राजगढ चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.) ।

अभियुक्तगण

<u>अपराध अंतर्गत धाराः 323, 325 भारतीय दण्ड संहिता</u>

उपस्थितः-

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य।
2. विद्वान अधिवक्ता-श्री सलीम खां वास्ते अभियुक्तगण

Date of Offence	14.10.2016
Date of FIR	14.10.2016
Date of Chargesheet	25.08.2017
Date of Framing Charges	07.06.2022
Date of Commencement evidence	17.12.2022
Statement u/s 313 Cr.P.C. Recorded on	13.03.2026
Arguments heard on	23.03.2026

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

Date of the Judgement	23.03.2026

-: निर्णय :- **दिनांकः-23.03.2026**

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 14.10.16 को वक्त करीब 4 बजे शाम को कोर्ट चूरू में गिरिश ओझा के साथ किसी मुकदमे के संबंध में गया हुआ था जहां पर वकिल आनन्द बालाण के चैम्बर के आगे सुरेश नाई सुरेश का भाई सांवरमल व सुरेश का साला हरीश बजाज व अन्य तीन चार अन्य थे जिनके वह नाम नहीं जानता है पहचान सकता है आये व डिप्टी बृजमोहन असवाल वाले मुकदमा के बारे मे कहा कि तु बिचा मे क्यों पङ रहा है इन समझोता करवा दे अन्यथा ठीक नहीं रहेगी इस बात को लेकर उनकी सुरेश नाई निवासी बुटीया से बोलबाल हो गई इस बात को लेकर उसे धमकी दी आईन्दा देख लूंगा थोडी देर बाद वह व गिरीष को कोर्ट से घर जाने के लिए रवाना हुये तो सुरेश नाई ने उनके पीछे मोटरसाईकिल के पीछे दो गाडी लेकर पीछा किया तो उन्होंने पुलिस को फोन किया तो पुलिस आने के कारण वह गाडीया लेकर वापस चले गये । वह व गिरीश ओझा दोनों भाईजी चौक से नरेश चाय वाले की दुकान से 3500 रूपये लेकर चॉन्दनी चौक पहुंच कर चाय पीकर घर की तरफ जा रहे थे इतने ने बूटीया रोङ मोड पर पहुंचे तो सुरेश नाई पुत्र भंवरलाल जाति नाई निवासी बुटीया, सांवरमल नाई व सुरेश का साला व हरीश बजाज पुत्र मुरारी बजाज निवासी चूरू व तीन चार अन्य व्यक्ति वहां पर पहले से खड़े थे जिन्होंने उन्हें देख कर यह सुरेश नाई ने कहा यह मादरचोद खटीकडा वा नीच जाति वा कमीना की गाली निकालते हुये पिस्तोल निकाल कर उन दोनों को मोटरसाईकिल से नीचे पटक कर उक्त सभी ने उसके साथ व गिरीश ओझा के साथ मारपीट वा लात मुक्कों व सरीयो से मारने शुरू कर दिया वा सुरेश नाई ने पिस्तोल उसके कंठ के लगा कर का कहा कि नीच को मारो व सांवरमल नाई ने उसके जेब से 5000 रूपये निकाल लिये तब उन्होंने रोला मचाया तो रवि पुत्र बंशीधर भाट, पंकज जोशी, कपिल व अन्य लोगों ने आकर बीच बचाव कर उन्हें छुडाया फिर वह खटीकडा व नीच जाति व जाति सूचक गालिया देते हुये भाग गये फिर

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

उसका लड़का मनीष मुकेश मौके पर आकर उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया....इत्यादि ।

2. उक्त तथ्यों के आधार पर पुलिसथाना कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 239/2016, अंतर्गत धारा 323, 341, 143, 382, 3(1),(10) एससी/एसटी एक्ट भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323, 325 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया।

3. अभियुक्तगण को धारा 323, 325 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो सुन-समझकर अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाह पेश कर साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गईः-

Rank	Name	Nature of evidence
पी.डब्ल्यू. 1	सीताराम	परिवादी
पी.डब्ल्यू. 2	नरेन्द्र प्रजापत	घटना बाबत (Hostile Witness)
पी.डब्ल्यू. 3	विनोद कुमार	घटना बाबत (Hostile Witness)
पी.डब्ल्यू. 4	मदनलाल	घटना बाबत (Hostile Witness)
पी.डब्ल्यू. 5	पुनीत	घटना बाबत (Hostile Witness)
पी.डब्ल्यू. 6	सुभाष	घटना बाबत (Hostile Witness)
पी.डब्ल्यू. 7	गिरीश ओझा	घटना बाबत
पी.डब्ल्यू. 8	डॉ. बनवारी लाल नायक	एक्स रे रिपोर्ट बाबत
पी.डब्ल्यू. 9	डॉ. जगदीश प्रसाद	मेडिकल मुआयना बाबत
पी.डब्ल्यू. 10	सीताराम माहिच	अनुसंधान बाबत
पी.डब्ल्यू. 11	केशर सिंह शेखावत	अनुसंधान बाबत

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य, निम्न दस्तावेज को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया हैः-

Sr.No.	Exhibit Number	Description
1	प्रदर्श पी.1	पर्चा बयान सीताराम
2	प्रदर्श पी.2	नक्शा मौका
3	प्रदर्श पी.2 ए	हालात नक्शा मौका घटनास्थल
4	प्रदर्श पी.3	बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी नरेन्द्र प्रजापत
5	प्रदर्श पी.4	बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी विनोद कुमार
6	प्रदर्श पी.5	बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी मदन लाल
7	प्रदर्श पी.6	बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी पुनीत
8	प्रदर्श पी.7	बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी सुभाष
9	प्रदर्श पी.8 लगायत 10	एक्स रे प्लेट सीताराम
10	प्रदर्श पी. 11	एक्स रे कवर नोट सीताराम
11	प्रदर्श पी. 12 व 13	एक्स रे प्लेट गिरीश
12	प्रदर्श पी.14	एक्स रे कवर नोट गिरीश
13	प्रदर्श पी.15	चोट प्रतिवेदन सीताराम
14	प्रदर्श पी.16	चोट प्रतिवेदन गिरीश

6. बाद साक्ष्य अभियोजन अभियुक्तगण को धारा-313 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अपनी विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताया, झूठा फसाने का कथन किया व जाहिर किया कि वे निर्दोष हैं एवं

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहने पर अवसर बंद किया गया।

7. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि -

   1. **क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 14.10.2016 को चूरू में बूटिया मोड पर किसी समय परिवादी सीताराम व गिरीश ओझा के साथ स्वैच्छया मारपीट करते हुए साधारण उपहति एवं गंभीर उपहति कारित की हैं?**
   2. **यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा?**

8. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित आरोप में दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

9. इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा निवेदन किया गया कि हस्तगत प्रकरण में मात्र एक परिवादी सीताराम द्वारा मारपीट की घटना की ताईद की गई है । सीताराम के साथ एक अन्य व्यक्ति जिसको मोटरसाईकिल पर साथ बैठाया हुआ था । इस गवाह द्वारा भी गंभीर विरोधाभासी कथन अपने मुख्य परीक्षण में किये गये है । किसी भी प्रकार की आला ए जरब की बरामदगी इस प्रकरण में नहीं हुई है । परिवादी के अतिरिक्त सभी अभियोजन के गवाह न्यायालय में पक्षद्रोही घोषित हुए है । अभियोजन साक्षीगण के बयानात में गंभीर विरोधाभास एवं पारस्परिक संपुष्टि का अभाव है । परिवादी सीताराम द्वारा यह मिथ्या प्रकरण संस्थित करवाया गया है । अंततः अधिवक्ता अभियुक्तगण ने अभियुक्त सांवरमल एवं सुरेश को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया ।

10. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली व सुसंगत विधि का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण पर धारा 323, 325 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है। हस्तगण प्रकरण में अभियोजन अधिकारी द्वारा कुल 11 गवाहान न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाये गये हैं। **साक्षी पी.डब्ल्यू.1 सीताराम** ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 04.10.2015 को लगभग छ साल पहले अज खुद कहा कि 14.10.2016 की बात है। दोपहर के बाई तीन बजे सुरेश व उसका भाई व उसका साला तीन चार जने और थे उनके साथ

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

मुकदमें की बात को लेकर बात हो गई थी जिसमें उन्होंने उन्हें गालिया निकाली फिर वे वहां से घर जाने लगे वे चांदनी चौक के पास पहुंचे तब सुरेश, सांवरमल व सुरेश का साला जिसका नाम में नहीं जानता व दो तीन जने और थे जिनके नाम भी नहीं जानता मिले और इन लोगों ने कहा कि मारो मादरचोद खटीकड़ा को। ये कहकर सुरेश के भाई सांवरमल ने उसके पीछे लात की मारी जिससे वह विकलांग होने के कारण नीचे गिर गया। फिर ये लोग उसके व गिरिश दोनों के साथ लात मुक्को से मारपीट करने लगे। सुरेश के साले के हाथ में एक डंडा था जिसने भी डंडे से मारपीट की। फिर उसके सांवरमल ने बुंट की लात की पैर पर मारी जिससे उसका पैरा फैक्चर हो गया जिसका उसका ऑपरेशन हुआ। वह और गिरिश दोनों मोटरसाईकिल पर बेठकर जा रहे थे। फिर मारपीट के दौरान रवि, कपिल व एक दो अन्य जिनमें उसका लडका मनीष, मुकेश भी आ गये जिन्होंने ललकारने पर छोडकर भाग गये। उसके लडके व भाई के लडके ने उसे अस्पताल लिये वहां पुलिस आयी उसके बयान लिये। उसके पर्चा बयान प्रदर्शपी 1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बाद कार्यवाही पुलिस सी से डी भी उसके हस्ताक्षर है। दूसरे दिन पुलिस मौके पर आई थी नक्शा मौका प्रदर्शपी-2 बनाया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके पास पांच हजार रूपये थे जो सुरेश का भाई सांवरमल निकालकर ले गया । **दौराने जिरह उक्त गवाह का कथन रहा है कि** यह कहना सही है कि सुरेश नाई और वह एक ही मुकदमें सुरेश बाडकी हत्याकांड में केसवार रहे हुए है और भी वे दो तीन मुकदमों में केसवार हुए है । उसके खिलाफ मुकदमे चलते है उसकी गिनती नहीं है पुलिस रिकॉर्ड में है । मारपीट तकरीबन पंद्रह से बीस मिनट तक हुई थी । गिरीश के भी चोटे आई थी । उसे अस्पताल उसका भतीजा मुकेश व उसका बेटा मनीष लेकर गये । पुलिस को सूचना मनीष ने की थी । पुलिस अस्पताल में करीबन आधे घंटे बाद आ गई थी । सुरेश नाई से बोलचाल कोर्ट में आनंद जी के चेंबर के बाहर हुई थी । आनंद जी ने ही उन्हें अलग किया था । जिस हिसाब से उन्हें मिले थे उनके पीछे ही गये थे । उसने पुलिस को कोर्ट में बोलचाल की सारी बात फोन पर बता दी थी और ये भी बता दिया था कि सुरेश नाई मारने के लिए आया है । पिस्तोल उसके कंठों में लगा दी थी । पांच हजार रूपये उसकी जेब में ही थे जो सुरेश के भाई सांवरमल ने निकाल लिये थे ।

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

11. **साक्षी पी.डब्ल्यू.2 नरेन्द्र प्रजापत** ने सशपथ कथन किया है कि वर्ष 2016 उसने सीताराम व गिरीश ओझा द्वारा सांवरमल के साथ मारपीट करते नहीं देखा था । घटना के बारे में उसे जानकारी नहीं है व ना ही उसने सुना था । **अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है ।** अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी। पुलिस बयान प्रदर्शपी-3 का ए से बी भाग उसने नहीं लिखाया था। यह कहना गलत है कि सांवरमल के साथ सीताराम व गिरिश ओझा द्वारा थाप मुक्को से मारपीट की हो। यह कहना गलत है कि इनके साथ सुरेश निवासी डोकवा भी हो। यह कहना गलत है कि उसने इनको छुड़ाया। पुलिस इस मुकदमे से संबंधित आज तक उसके पास नहीं आई है। यह कहना गलत है कि मुल्जिम को बचाने के लिये झुठे बयान दे रहा हो। मुचलका पर फोटो व हस्ताक्षर कलेक्ट्री वालों को दिये थे पुलिसवालो को नहीं दिये। **दौराने जिरह उक्त गवाह का कथन रहा है कि** यह कहना सही है कि ना तो घटना देखी व ना ही सुनी । पुलिस ने उसका नाम क्यों लिखा उसे पता नहीं ।

12. **साक्षी पी.डब्ल्यू.3 विनोद कुमार** ने सशपथ कथन किया है कि आज से 6-7 साल पहले उसने किसी के साथ मारपीट होते नहीं देखा, घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है । **अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है ।** अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। पुलिस बयान प्रदर्श पी4 का भाग ए से बी उसने नहीं लिखवाया था। यह कहना गलत है कि सांवरमल नाई व सुरेश डोकवा ने सीताराम व गिरीश औझा को मोटरसाईकिल से नीचे गिरा दिया हो और उनके साथ थाप-मुक्को से मारपीट की हो। उसे इस बात कोई जानकारी नही है कि सीताराम और गिरीश दोनों काफी दिनों तक अस्पताल की पट्टियां बंधी हुई घुमते रहे हो।

13. **साक्षी पी.डब्ल्यू.4 मदन लाल** ने सशपथ कथन किया है कि आज से 6-7 साल पहले उसने किसी के साथ मारपीट होते नहीं देखा, घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है । **अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है ।** अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। पुलिस

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

बयान प्रदर्श पी5 का भाग ए से बी उसने नहीं लिखवाया था। यह कहना गलत है कि सांवरमल नाई व सुरेश डोकवा ने सीताराम व गिरीश औझा को मोटरसाईकिल से नीचे गिरा दिया हो और उनके साथ थाप-मुक्को से मारपीट की हो। उसे इस बात कोई जानकारी नही है कि सीताराम और गिरीश दोनों काफी दिनों तक अस्पताल की पट्टियां बंधी हुई घुमते रहे हो। **दौराने जिरह उक्त गवाह का कथन रहा है कि** यह कहना गलत है कि सीताराम खटीक और मदन ओझा मोटरसाईकिल से गिरने के बारे में उसने सुना हो । यह कहना सही है कि सीताराम खटीक कोतवाली थाना, चूरू का हिस्ट्रीशीटर है ।

14. **साक्षी पी.डब्ल्यू.5 पुनीत** ने सशपथ कथन किया है कि आज से 6-7 साल पहले उसने किसी के साथ मारपीट होते नहीं देखा, घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है । **अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है ।** अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। पुलिस बयान प्रदर्श पी6 का भाग ए से बी उसने नहीं लिखवाया था। यह कहना गलत है कि सांवरमल नाई व सुरेश डोकवा ने सीताराम व गिरीश औझा को मोटरसाईकिल से नीचे गिरा दिया हो और उनके साथ थाप-मुक्को से मारपीट की हो। उसे इस बात कोई जानकारी नही है कि सीताराम और गिरीश दोनों काफी दिनों तक अस्पताल की पट्टियां बंधी हुई घुमते रहे हो।

15. **साक्षी पी.डब्ल्यू.6 सुभाष** ने सशपथ कथन किया है कि आज से 6-7 साल पहले उसने किसी के साथ मारपीट होते नहीं देखा, घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है । **अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है ।** अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। पुलिस बयान प्रदर्श पी 7 का भाग ए से बी उसने नहीं लिखवाया था। यह कहना गलत है कि सांवरमल नाई व सुरेश डोकवा ने सीताराम व गिरीश औझा को मोटरसाईकिल से नीचे गिरा दिया हो और उनके साथ थाप-मुक्को से मारपीट की हो। उसे इस बात कोई जानकारी नही है कि सीताराम और गिरीश दोनों काफी दिनों तक अस्पताल की पट्टियां बंधी हुई घुमते रहे हो।

16. **साक्षी पी.डब्ल्यू.7 गिरीश ओझा** ने सशपथ कथन किया है कि वर्ष 2016 की बात है वह सीताराम दोनों मोटरसाईकिल से जा रहे थे जो सीताराम के घर जा रहे थे कोर्ट आये हुये थे कोर्ट से घर जा रहे थे। कोर्ट परिसर में ही

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

सीताराम व सुरेश नाई के आपस में बोलचाल हो गई थी। सुरेश व सीताराम किसी मुकदमें के संबंध में बात कर रहे थे। भाईजी चौक में उन्होंने चाय पी कर वहां से चाय वाले से 3500/- रुपये लिये जो मांगते थे। शाम को 5.30 बजे के लगभग चांदनी चौक पहुंचे वहां पर सुरेश व सांवरमल और चार पांच जने आये थे जिनमें इन दो को वह जानता है बाकि को नहीं जानता इन्होंने आकर उनकी मोटरसाईकिल को रोका, वे मोटरसाईकिल रोकने से गिर गये, सीताराम के एक पैर में दिक्कत होने की वजह से मोटरसाईकिल असंतुलित हो गई जिससे वे गिर गये गिरने के साथ ही इन लोगों ने उन पर हमला कर दिया इनके हाथों में लाठी व सरिये थे उनका बीच बचाव किया तो उसके दोनों हाथ टूट गये । हो हल्ला करने पर बचाव के लिये रवि, पंकज व दो तीन और व्यक्ति आये और इन लोगों ने उन्हें छूडाया चोट लगने के बाद वे हॉस्पिटल आये । सीताराम के जेब में जो रुपये थे वो निकाल लिये। कोर्ट में जो बात हुई थी उसी बात को लेकर लड़ाई हुई। गाली गलोच की थी खटीकड़ा तुम्हें देख लेंगे। पुलिस मौके पर आयी थी नक्शा प्रदर्श पी 2 बनाया था जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । **दौराने जिरह उक्त गवाह का कथन रहा है कि** यह कहना सही है कि मुलजिम पक्ष व परिवादी पक्ष की इस घटना से पूर्व कोई रंजिश नहीं थी । यह कहना सही है कि सीताराम खटीक कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर है । यह कहना सही है कि सीताराम उसका दोस्त है ।

17. **साक्षी पी.डब्ल्यू.8 डॉ बनवारी लाल नायक** ने सशपथ कथन किया है किदिनांक 24.10.2016 को वह राजकीय डा.बी. अस्पताल चूरू में वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट के पद पर तैनात था। उस दिन मजरूब सीताराम पुत्र राधाकृष्ण उम्र 50 साल जाति बारीक निवासी वार्ड नं. 37. चूरू के एम.एल.सी एक्सरे विशेषज्ञ राय हेतु उसके समक्ष पेश किए गए। जिनकी एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 08,09,10 है। जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी योगेश मोदी रेडियोग्राफर के हस्ताक्षर है वह उसके साथ काम करता है इसीलिए पहचानता है। एक्सरे रिपोर्ट कवर नोट प्रदर्श पी 11 है जिस पर ए से बी उसकी राय व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसकी राय अनुसार मजरूब सीताराम के खींचे गए एम.एल.सी एक्सरे में बायी तरफ की जांच की फीमर हड्डी के नीचे के एक तिहाई भाग में कोमीन्युटेड अस्थिभंग था। जिसमें कैलस नहीं बना हुआ था। अस्थिभंग की अवधि 3 सप्ताह के भीतर की थी। मजरुब के बायीं नी ज्वाइंट की पटेला हड्डी का भी डिस्लोकेशन था। मजरूब

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

के बायीं तरफ की फीमर हड्डी के उपर के एक तिहाई भाग में ऑल्ड युनाईटेड अस्थिभंग था जिस पर प्लेट व स्क्रू फिक्शेसन का ऑपरेशन किया हुआ था। मजरूब के बायीं तरफ के एल्बो ज्वाईंट के एक्सरे में हयुमरस एड्डी के लोवर एंड मे पुराना युनाईटेड अस्थिभंग था। साथ ही उसी साईड की रेडियस व अल्ना हड्डी में भी पुराना युनाईटेड अस्थिमंग था जिस पर भी प्लेट व स्क्रू फिक्शेसन का ऑपरेशन किया हुआ था। मजरूब के छाती के एक्सरे की बायी तरफ की छठी एवं सातवी पसली में भी पुराना युनाईटेड अस्थिभंग था। उसी रोज मजरूब गिरीश पुत्र मुरारीलाल उम्र 54 साल जाति ओझा ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं. 41, चूरू के भी एम.एल.सी एक्सरे विशेषज्ञ राय हेतु उसके समक्ष पेश किए गए। जिनकी एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 12 व 13 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी योगेश मोदी रेडियोग्राफर के हस्ताक्षर है वह उसके साथ काम करता है इसीलिए पहचानता है। एक्सरे रिपोर्ट कवर नोट प्रदर्श पी 14 है जिस पर ए से बी उसकी राय व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसकी राय अनुसार मजरूब गिरीश के खींचे गए एम.एल.सी एक्सरे में बाए हाथ की दूसरी मेटाकार्पल हड्डी के हैड पर अस्थिभंग था जिसमें कैलस नहीं बना हुआ था। अस्थिभंग की अवधि 3 सप्ताह के भीतर की थी। मजरूब के दाहिने हाथ व कलाई की हड्डी में किसी प्रकार का अस्थिभंग नहीं था। **दौराने जिरह उक्त गवाह का कथन रहा है कि** उसने मजरूबान की तैयार की गई एम एल सी एक्स रे प्लेट के आधार पर ही विशेषज्ञ राय दी है ।

18. **साक्षी पी.डब्ल्यू.9 डॉ जगदीश प्रसाद** ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 14.10.2016 को वह राजकीय डी.बी. अस्पताल चूरू में मेडिकल ज्यूरिस्ट के पद पर कार्यरत था। उस रोज पुलिस प्रतिवेदन पर उसने सीताराम पुत्र श्री राधाकिशन उम्र 50 साल जाति खटीक निवासी वार्ड नंबर 37 चूरू के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था जो निम्न प्रकार है 01 सूजन बांई जांघ के नीचले हिस्से में जो ललाई लिये हुई थी जो कि तीन सेमी. गुणा चार सेमी. थी। 02. खरोंच पांच सेमी. गुणा दो सेमी. बांई कोहिनी के उपर ललाई लिये हुए थी। 03. नीलगू सात सेमी. गुणा दो सेमी. दाहिने घुटने के बाहर की ओर ललाई लिये हुए थी, छह गुणा दो सेमी. दाहिने घुटने के पीछे की ओर, दो गुणा दो सेमी. दाहिने घुटने पर ललाई लिये हुए थी। 04. नीलगू चार गुणा सात सेमी. दाहिने हाथ की कलाई के उपरे हिस्से पर जो

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

ललाई लिये हुए थी। 05. खरोंच पांच सेमी. गुणा 2.5 सेमी. जो ललाई लिये हुए थी दाहिने हाथ के कोहिनी के उपरी हिस्से में थी। 06 नीलगू चौदह सेमी. गुणा 5.5 सेमी. दाहिने कंधे की नीचे की फर पर सभी चोटें कुंदा व हथियार से कारित थी। चोट नं 01,02 और 06 की प्रकृति जानने के लिए एक्स रे की राय दी गई थी। बाकी सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी। चोटों की अवधि छह घंटे की भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 15 है उस पर ए से बी पर उसके हस्ताक्षर है। सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह है। बाद एक्सरे रेडियोलोजिस्ट की राय के आधार पर चोट नंबर दो व छह साधारण प्रकृति की होना पाया गया व चोट नंबर 01 गंभीर प्रकृति की होना पाया गया। गंभीर प्रकृति बाबत प्रदर्श 11 की पुश्त पर प्रदर्श 11 ए है। उस पर ए से बी उसकी राय है सी से डी पर उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन मजरूब गिरीश पुत्र श्री मुरारीलाल उम्र 54 साल जाति ओझा वार्ड नंबर 41 चूरू के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया जो कि निम्न प्रकार से थी। 01. सूजन दो गुना एक सेमी. ललाई लिये हुए नाक के उपर उसके पास में खरोंच एक गुना एक सेमी.। 02. सूजन तीन गुना दो सेमी. बांये हाथ के उपरी हिस्से में जो ललाई लिये हुए थी। 03. सूजन तीन सेमी. व दो सेमी. ललाई लिये हुए दाहिने हाथ की कलाई के उपरी हिस्से में। 04. सूजन तीन गुना दो सेमी. ललाई लिये हुए दाहिने हाथ की कलाई पर । 05. मीलगू पांच सेमी. गुना दो सेमी. बायें घुटने के अंदर की ओर । 06. बांयें कुल्हे में दर्द की शिकायत कर रहा था लेकिन परीक्षण करने पर जाहिरा कोई चोट नहीं थी। सभी चोटें कुंदा हथियार से कारित थी। चोट नंबर 02, 03, 04 की प्रकृति जानने के लिए एक्स रे की राय दी गई थी। बाकी चोटें साधारण प्रकृति की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 16 है। उस पर ए से बी पर उसके हस्ताक्षर है। सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह है व इ से एफ मजरूब के हस्ताक्षर है। चोटों की अवधि छह घंटों के भीतर की थी। बाद एक्सरे रेडियोलोजिस्ट की रिपोर्ट के आधार पर चोट नंबर 03 व 04 साधारण प्रकृति की होना पाया गया व चोट नंबर 02 गंभीर प्रकृति की होना पाया गया। इस बाबत रिपोर्ट प्रदर्श 14 पर इ से एफ उसकी राय है व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। **दौराने जिरह उक्त गवाह का कथन रहा है कि** उसने नहीं देखा कि मजरूब सीताराम के पूर्व में चोट लगी होने के कारण वह लंगडा रहा था । प्रदर्श पी 16 में वर्णित चोट संख्या 1 से 6 यदि कोई व्यक्ति मोटरसाईकिल चलाता हुआ असंतुलित होते

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

गिर जोय तो उक्त चोट के आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।

19. **साक्षी पी.डब्ल्यू.10 सीताराम माहिच** ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 18.10.2018 को वह वृताधिकारी चूरू के पद पर तैनात था। उस दिन एफ आर आई 229/18 पी एस कोतवाली चूरू के अनुसंधान पत्रावली अनुसंधान हेतु उसे प्राप्त हुई थी। दौराने अनुसंधान परिवादी श्री सीताराम की निशानदेही से घटना स्थल का निरक्षण कर घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 2 है उस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है ए से बी सीताराम के हस्ताक्षर है। सी से डी व जी से एच मौतबीरान के हस्ताक्षर है। हालात नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 ए है। उस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। गवाह सीताराम व गिरीश के बयान उनके बोले अनुसार धारा 161 सी आर पी सी मे लेखबद्ध किये गये। उसने मुजरूब सीताराम पर्चा बयान को अवलोकन किया गया जो पर्चा बयान महिपाल सिंह एच सी द्वारा लेखबद्ध किये गये थे पर्चा बयान प्रदर्श पी 1 पर जी से एच महिपाल सिंह एच सी के हस्ताक्षर है जिनके हस्ताक्षर उसके अधिनस्थ काम करने से पहचानता है। तत्पश्चात एस पी साहब के आदेशनुसार अग्रिम अनुसंधान हेतु पत्रावली अतिरक्त पुलिस अधीक्षक चूरू को प्रेषित कर दी गई। **दौराने जिरह उक्त गवाह का कथन रहा है कि** यह कहना सही है कि उसके द्वारा इस मुकदमे में पूरा अनुसंधान नहीं किया गया । यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 2 दर्शाया गये आस पडोसियों से उसने उस दिन कोई पूछताछ नहीं की थी ।

20. **साक्षी पी.डब्ल्यू.11 केशर सिंह शेखावत** ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 14.10.2016 को वह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चूरू के पद पर तैनात था उस दौरान आपराधिक प्रकरण संख्या 239/2018 का अग्रिम अनुसंधान जिला पुलिस अधीक्षक चूरू को सुपुर्द किया गया था। अनुसंधान के दौरान उसके द्वारा पूर्व अनुसंधान अधिकारी द्वारा किये अनुसंधान के दौरान संकलित साक्ष्यों का अवलोकन किया गया । अनुसंधान के क्रम में उसके द्वारा गवाह विनोद, नरेद्र, पुनीत मदनलाल, सुभाष, राधेश्याम, महेश, रूपेश, श्री राजपाल, हेतराम, आदि के कथन अर्तगत 161 सी आर पी सी के अर्तगत लेखबद्ध किये गये थे। प्रकरण से जोडे गये मजरूबगण सीताराम, गिरीश के रिपोर्ट चोट प्रतिवेदन और एक्से प्रतिवेदन रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गयी । सम्पूर्ण अनुसंधान से उसके द्वारा अभियुक्तगण सीताराम, सुरेश नाई के जुर्म अर्तगत

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

धारा 323,325 साबित पाया गया था। ततपश्चात अनुसंधान पत्रावली जिला पुलिस अधीक्षक चूरू के माध्यम से थानाधिकारी कोतवाली चूरू को भिजवाई गई। **दौराने जिरह उक्त गवाह का कथन रहा है कि** यह कहना सही है कि इस मुकदमे में संपूर्ण अनुसंधान नहीं किया गया । यह कहना सही है कि मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी 11, 16 पर उसके शामिल पत्रावली में कोई हस्ताक्षर नहीं है ।

21. बहस उभयपक्षकारान सुनी गई । पत्रावली व सुसंगत विधि का अवलोकन किया गया । उपरोक्त के संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि हस्तगत प्रकरण मजरूब सीताराम के पर्चा बयान प्रदर्श पी 1 के आधार पर संस्थित हुआ था जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 14.10.16 को वक्त करीब 4 बजे शाम को कोर्ट चूरू मे गिरिश ओझा के साथ किसी मुकदमे के संबंधमें गया हुआ था जहां पर वकिल आनन्द बालाण के चैम्बर के आगे सुरेश नाई सुरेश का भाई सांवरमल व सुरेश का साला हरीश बजाज व अन्य तीन चार अन्य थे जिनके वह नाम नहीं जानता है पहचान सकता है आये व डिप्टी बृजमोहन असवाल वाले मुकदमा के बारे मे कहा कि तु बिचा मे क्यों पङ रहा है इन समझोता करवा दे अन्यथा ठीक नहीं रहेगी इस बात को लेकर उनकी सुरेश नाई निवासी बुटीया से बोलबाल हो गई इस बात को लेकर उसे धमकी दी आईन्दा देख लूंगा थोडी देर बाद वह व गिरीष को कोर्ट से घर जाने के लिए रवाना हुये तो सुरेश नाई ने उनके पीछे मोटरसाईकिल के पीछे दो गाडी लेकर पीछा किया तो उन्होंने पुलिस को फोन किया तो पुलिस आने के कारण वह गाडीया लेकर वापस चले गये । वह व गिरीश ओझा दोनों भाईजी चौक से नरेश चाय वाले की दुकान से 3500 रूपये लेकर चॉन्दनी चौक पहुंच कर चाय पीकर घर की तरफ जा रहे थे इतने ने बूटीया रोङ मोड पर पहुंचे तो सुरेश नाई पुत्र भंवरलाल जाति नाई निवासी बुटीया, सांवरमल नाई व सुरेश का साला व हरीश बजाज पुत्र मुरारी बजाज निवासी चूरू व तीन चार अन्य व्यक्ति वहां पर पहले से खड़े थे जिन्होंने उन्हें देख कर यह सुरेश नाई ने कहा यह मादरचोद खटीकडा वा नीच जाति वा कमीना की गाली निकालते हुये पिस्तोल निकाल कर उन दोनों को मोटरसाईकिल से नीचे पटक कर उक्त सभी ने उसके साथ व गिरीश ओझा के साथ मारपीट वा लात मुक्कों व सरीयो से मारने शुरू कर दिया वा सुरेश नाई ने पिस्तोल उसके

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

कंठ के लगा कर का कहा कि नीच को मारो व सांवरमल नाई ने उसके जेब से 5000 रूपये निकाल लिये तब उन्होंने रोला मचाया तो रवि पुत्र बंशीधर भाट, पंकज जोशी, कपिल व अन्य लोगों ने आकर बीच बचाव कर उन्हें छुडाया फिर वह खटीकडा व नीच जाति व जाति सूचक गालिया देते हुये भाग गये फिर उसका लङका मनीष मुकेश मौके पर आकर उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया....इत्यादि ।

22. हस्तगत प्रकरण में न्यायालय में परीक्षित गवाहान में सबसे प्रमुख गवाह सीताराम है । इस गवाह द्वारा प्रकरण के आरोपीगण सुरेश कुमार व सांवरमल को नामजद किया गया है । साथ ही उक्त दोनों मूल पर्चा बयान प्रदर्श पी 1 में भी नामजद है तथा इस गवाह ने सांवरमल द्वारा बूट से पैर पर मारने की बात अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है और उसके साथ सुरेश व अन्य व्यक्तियों के भी होने बाबत मुख्य परीक्षण में कथन किये है । अपने मुख्य परीक्षण के विरूद्ध कोई कथन प्रतिपरीक्षण में नहीं किये है । प्रकरण में पीडब्ल्यू 02 नरेन्द्र प्रजापत, पीडब्ल्यू 03 विनोद कुमार, पीडब्ल्यू 04 मदनलाल, पीडब्ल्यू 05 पुनीत, पीडब्ल्यू 06 सुभाष उक्त गवाहान हालांकि अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित हुए है, लेकिन इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि धारा 134 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्यों की कोई विशिष्ठ संख्या अपेक्षित नहीं होती है । साथ ही पीडब्ल्यू 07 गिरीश ओझा जो मजरूब सीताराम के साथ था इसने भी अपने मुख्य परीक्षण में सुरेश और सांवरमल पर मारपीट करने संबंधी बयान मुख्य परीक्षण में दिये है तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 अपने समक्ष बनाये जाने की कार्यवाही को भी मुख्य परीक्षण में ताईद किया है ।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा इस गवाह के प्रतिपरीक्षण की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करवाते हुए तर्क दिया है कि इस गवाह ने यह कथन किया है कि उसके हाथों पर किसने चोट मारी उसे पता नहीं है, लेकिन इस गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में सुरेश व सांवरमल को नामजद करते हुए चार-पांच अन्य व्यक्तियों द्वारा सीताराम व उसके स्वयं के साथ मारपीट करने की बात अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है । ऐसे में उसके हाथ पर चोट किसके द्वारा कारित की गई है ऐसा विनिर्दिष्ठ रूप से कथन नहीं कर पाने के कारण अभियोजन कहानी को संदेहास्पद मानने का

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

कोई आधार उत्पन्न नहीं होता है । इसके अतिरिक्त पीडबल्यू 08 डॉ बनवारी लाल नायक विशेषज्ञ साक्षी है जिनके द्वारा एक्स रे रिपोर्ट कवर नोट प्रदर्श पी 1, एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी 12 व 13 एवं एक्स रे रिपोर्ट कवर नोट प्रदर्श पी 14 को न्यायालय में प्रदर्शित करवाया गया है । मजरूब सीताराम एवं गिरीश के मारपीट एवं चोट की पुष्टि पीडब्ल्यू 08 डॉ. बनवारी लाल नायक के बयान से होती है । साथ ही पीडबल्यू 09 डॉ. जगदीश प्रसाद है जिन्होंने पुलिस प्रत्यावेदन पर दिनांक 14.10.2016 को राजकीय डी.बी. अस्पताल चूरू में सीताराम तथा गिरीश के मारपीट में आई चोटों का मेडीकल मुआयाना किया था तथा सीताराम का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 15 तथा गिरीश का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 16 जारी करने की ताईद की है । मजरूब सीताराम के कुल छः चोटे शरीर पर आई थी तथा चोट संख्या 1 गंभीर प्रकृति की थी तथा मजरूब गिरीश के भी शरीर पर कुल छः चोटे पाई गई थी । इस गवाह के साक्ष्य को भी अविश्वसनीय मानने का कोई आधार पत्रावली पर नहीं है । पीडब्ल्यू 10 सीताराम माहिच वृत्ताधिकारी चूरू है जिनके द्वारा प्रकरण में आंशिक अनुसंधान किया गया । पीडब्ल्यू 11 केशर सिंह शेखावत तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चूरू है जिनके द्वारा प्रकरण में आंशिक अनुसंधान किया गया ।

23. अभियुक्तगण को धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किये जानते समय किसी भी गवाह के संदर्भ में कोई भी विनिर्दिष्ट स्पष्टीकरण अथवा प्रत्याख्यान अभियुक्तगण द्वारा नहीं किया गया तथा गवाह के साक्ष्य को गलत होने एवं स्वयं के निर्दोष होने बाबत कथन किये है और ना ही मजरूब की चोटों के संबंध में अथवा स्वयं को अभियोजित किये जाने के विषय में कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश की है ।

24. अतः न्यायालय में आई समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं मामले की तथ्यों एवं परीस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 14.10.2016 को चूरू में बूटिया मोड पर किसी समय परिवादी सीताराम व गिरीश ओझा के साथ स्वैच्छया मारपीट करते हुए साधारण उपहति एवं गंभीर उपहति कारित की । अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 323, 325 भारतीय दण्ड संहिता युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

आदेश

25. अतः अभियुक्तगण 01. सांवरमल पुत्र शुभकरण उम्र 38 साल, निवासी बुटिया थाना सदर चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.) 02. सुरेश कुमार पुत्र श्री धूपसिंह उम्र 32 साल, निवासी डोकवा थाना राजगढ चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.) को अपराध अंतर्गत धारा 323, 325 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

सजा का बिंदु

26. सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने कथन किया है कि अभियुक्तगण के विरूद्व पूर्व दोषसिद्वि का कोई प्रमाण पत्रावली पर नहीं है ना ही परिवीक्षा अधिनियम का लाभ लिया गया है। अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्व नरमी का रूख अपनाया जाकर आरोपित अपराध में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाए। इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी ने इसका विरोध किया और अभियुक्तगण को न्यायोचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

27. उभयपक्षों के तर्को पर गौर किया। पत्रावली का अध्ययन किया गया। अभियुक्तगण के पूर्व में दोषसिद्धि के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलबध नहीं है। अभियुक्तगण नौ वर्षों से इस प्रकरण में विचारण भुगत रहे हैं। अभियुक्तगण को कारावास से दण्डाविष्ट करने पर उनके भविष्य एवं परिवार पर विपरीत असर पड़ेगा। अतः आरोपित अपराध तथा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को उक्त अपराध के आरोप में परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

28. अतः अभियुक्तगण 01. सांवरमल पुत्र शुभकरण उम्र 38 साल, निवासी बुटिया थाना सदर चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.) 02. सुरेश कुमार पुत्र श्री

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

धूपसिंह उम्र 32 साल, निवासी डोकवा थाना राजगढ चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.) को अपराध अंतर्गत धारा 323, 325 भारतीय दण्ड संहिता की दोषसिद्धि में उसे धारा-4 परीविक्षा अधि० का लाभ इन शर्तों पर दिया जाता है कि अभियुक्तगण 01 वर्ष तक सद्व्यवहार बनाये रखेंगे, परिशांति कायम रखेंगे एवं इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे एवं उपरोक्त शर्त भंग करने की स्थिति में न्यायालय द्वारा दण्डादेश भुगतने के लिए आहूत किये जाने पर उपस्थित रहने की शर्त के साथ अभियुक्तगण को 10,000 रूपये की राशि का निजी बंधपत्र व इसी राशि का जमानतनामा पेश कर तस्दीक करा देवे तो उन्हें परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाये। परीविक्षा अधिनियम की धारा-5 के तहत **प्रत्येक अभियुक्त पर 2,500 रुपए कुल 5,000 रुपये अभियोजन व्यय** के भी अधिरोपित किये जाते हैं। अभियुक्तगण के नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

29. प्रकरण में अभियुक्तगण पर दोषसिद्ध धाराओं में अधिरोपित जुर्माने की राशि के संबंध में आदेश पारित किया जाता है कि जुर्माने की राशि इस निर्णय के बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन इस प्रकरण के परिवादी सीताराम व गिरीश ओझा प्रत्येक को 2500/- रूपये अदा किये जाये ।

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

30. निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को लिखाया जाकर, बाद हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर विवृत्त न्यायालय में उदघोषित किया गया।

(हरीश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)